अभ्यर्थियों हेतु निर्देश

1. परीक्षा में उपस्थित होने हेतु इस न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट से डाउनलोड किए गए **प्रवेश पत्र (Admit Card)** को अभ्यर्थी अपने साथ लाएंगे। अभ्यर्थी, जिनके पास प्रवेश पत्र नहीं है, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. प्रवेश पत्र के अतिरिक्त, प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने साथ निम्नांकित लाना अनिवार्य होगा :–
    a. **स्वयं के फोटो युक्त मूल (original) पहचान पत्रों (आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/वोटर आई डी कार्ड/पासपोर्ट/पैन कार्ड) में से कोई एक, फोटो प्रति के साथ।**

    b. प्रश्न का उत्तर देने हेतु, ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में अंकित गोले को भरने के लिए **काला/नीला बॉल प्वाईन्ट पैन।**

    c. **अपनी हाल ही की खींची हुई 2.5cm x 2.5cm की रंगीन फोटो।**
3. अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति पर अपने रोल नम्बर अंकित करें।
4. अभ्यर्थी अपने साथ **50 मिलीलीटर की सैनिटाईजर बोतल** और **पानी की पारदर्शी पेक्ड बोतल** ला सकेंगे।
5. मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, पेजर अथवा अन्य किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरण, स्लाईड रूल, ज्यॉमितीय बॉक्स, बटुआ, थैला आदि को परीक्षा केन्द्र के परिसर के भीतर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. **प्रत्येक अभ्यर्थी को फेस मास्क पहनना होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर नया/अप्रयुक्त फेस मास्क प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को स्वयं के घर से पहनकर आये फेस मास्क को उतारकर, परीक्षा केन्द्र में प्रदान किया गया नया/अप्रयुक्त फेस मास्क पहनना होगा।**
7. **अभ्यर्थी समय से परीक्षा केन्द्र पर पहुंचेंगे। उन्हें परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है।**
8. **प्रत्येक अभ्यर्थी अपने परीक्षा केन्द्र की सीट पर अंकित रोल नम्बर को अपने प्रवेश पत्र से सत्यापित (verify) कर, उसके लिए निर्धारित सीट पर ही बैठे।**
9. **कोविड–19 वायरस से सावधानी के तौर पर, अभ्यर्थियों के हाथ प्रवेश द्वार पर सैनिटाईज/साफ किये जायेंगे। अभ्यर्थी किसी तरह का कोई समूह नहीं बनाएंगे एवं केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे।**
10. परीक्षा के दौरान चार (4) तरह की घण्टी (bell) बजायी जायेगी

    A. Distribution Bell – परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व

    B. Commencement Bell – परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय पर

    C. Warning Bell – परीक्षा की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व

D. Conclusion Bell – परीक्षा की समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर

11. ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक को परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व अर्थात् डिस्ट्रीब्यूशन बैल पर वितरित किया जायेगा एवं अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक को ठीक से जाँच लेवें तथा कटे–फटे होने की स्थिति में निरीक्षक (invigilator) से बदलवा लेवें।
12. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने **ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक के सम्बन्धित गोले में एवं निर्दिष्ट स्थान पर रोल नम्बर, प्रदत्त प्रश्न पत्र बुकलेट की सीरीज** आदि आवश्यक जानकारी को ठीक से भरा हो।
13. **अपूर्ण एवं गलत रोल नम्बर भरने वाले, प्रश्न पत्र बुकलेट की गलत सीरीज भरने वाले एवं गलत स्थान पर बैठने वाले अभ्यर्थियों को मूल्यांकन की प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है।**
14. अभ्यर्थी को ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में अपनी यथार्थता/प्रामाणिकता (genuineness) के **प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।**
15. अभ्यर्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वह ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक के किसी अन्य भाग पर अपना नाम एवं रोल नम्बर न लिखें और अपनी पहचान बताने के लिए कोई संकेत या लघुहस्ताक्षर या निशान या शब्द न लिखें।
16. परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय पर घण्टी (**Commencement Bell**) बजने पर प्रश्न पत्र बुकलेट वितरित की जायेंगी। प्रश्नों का उत्तर देने से पहले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक पर संदर्भित और विर्निदिष्ट स्थान पर सभी **आवश्यक जानकारी जैसे रोल नम्बर, विषय आदि को ठीक से भरा हो।**
17. अभ्यर्थियों को प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में दर्शाई गई सही विधि से गोले को पूरी तरह काला करते हुए सिर्फ एक गोले को भरना चाहिए। भरे हुए गोले को किसी भी प्रकार से मिटाना या व्हाईटनर का उपयोग करना निषिद्ध है।
18. **निम्नलिखित स्थितियों में प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगाः–**
    a. यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक गोले को काला किया जाता है या
    b. यदि अभ्यर्थी द्वारा गोले को गलत विधि से काला किया जाता है या
    c. यदि अभ्यर्थी द्वारा पहले से भरे गए गोले को मिटाने हेतु व्हाईटनर का प्रयोग किया जाता है या
    d. यदि अभ्यर्थी द्वारा गोले को पैन्सिल का उपयोग करते हुए काला किया जाता है।
19. लेखन सामग्री, स्टेन्सिल्स आदि का आदान–प्रदान पूर्णतः निषिद्ध है।
20. देरी से आने वाले अभ्यर्थियों को, व्यक्त कारणों से संतुष्ट होने पर, नोडल अधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक के विवेक पर प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। **किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
21. **परीक्षा केन्द्र के परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।**

22. अभ्यर्थी को उसकी प्रश्न पत्र बुकलेट एवं ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा हॉल को छोड़ने की इच्छा रखता है तो उसे परीक्षा समाप्ति हेतु नियत समय से, 30 मिनट पूर्व ही ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी, **लेकिन उसे अपनी प्रश्न पत्र बुकलेट एवं ओ.एम. आर. उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
23. परीक्षा की समाप्ति से 10 मिनट पहले एक warning bell बजायी जाएगी। तत्पश्चात् परीक्षा की समाप्ति के लिए नियत समय पर conclusion bell बजायी जायेगी जिस पर अभ्यर्थियों को लिखना बन्द कर निरीक्षक को ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक सौंपने हेतु तत्पर रहना होगा। जब तक कि सभी ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक निरीक्षक द्वारा एकत्रित नहीं कर ली जाती हैं तब तक अभ्यर्थी अपनी सीट नहीं छोड़ सकेंगे।
24. परीक्षा समाप्त होने पर निरीक्षक द्वारा निर्देशित नहीं किये जाने तक अभ्यर्थी अपनी सीट से न उठें। सामाजिक दूरी बनाये रखने हेतु, अभ्यर्थियों को एक–एक कर बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।
25. अभ्यर्थी जो नोडल अधिकारियों / केन्द्राधीक्षक / निरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों की अवज्ञा करता है या जो असभ्य या अवज्ञाकारी व्यवहार का दोषी पाया जाता है, वह परीक्षा कक्ष / हॉल से तुरन्त निष्कासित किये जाने हेतु उत्तरदायी होगा।
26. **इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा से विवर्जित किया जा सकता है एवं दण्डात्मक कार्यवाही के अधीन भी रखा जा सकता है।**
27. परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थियों के लिए कोई यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

****